रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73 | REGISTERED NO. D--(DN)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1982 (पौष 12, 1903)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1982 (PAUSA 12, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . .	1
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	1
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	1
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	1
भाग II—खंड 3 (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) . .	1
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	1
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	1
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	1
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	1
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . . .	1
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . . .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ..	
PART 1—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1
PART 1—SECTION 3.—Notifications reating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	
PART II—SECTION 1.—Acts Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	1
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	
PATR III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	1
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	1
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मन्त्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 1981

सं. एफ. 12(2)-पी डी/81—भविष्य निधियों, निवर्तन निधियों और उपदान निधियों में निवेश की पद्धति के बारे में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 19 अगस्त, 1980 की अधिसूचना संख्या एफ. 12 (2)-पी डी/81 में, परन्तुक को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

> "बशर्ते कि जब डाकघर सावधि जमा के परिपक्व होने पर कोई रकमें प्राप्त हों तो ऐसी रकमों की रकमों की 50 प्रतिशत तक की राशि का डाकघर सावधि जमा में पुनः निवेश किया जाए तथा शेष राशि केन्द्रीय सरकार की विशेष जमा योजना में जमा की जाए।"

मंगल दास पाल
निदेशक (बजट)

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1981

संकल्प

फा. सं. 21/7/81-बिक्रीकर—बिक्री-कर पर 15 फरवरी 1981 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें यह सिफारिश की गयी थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाय जिसका अध्यक्ष वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने योग्य कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उसको सदस्य में से एक अर्थ-शास्त्री तथा एक प्रशासक हो। समिति वनस्पति, औषध-द्रव्यों और दवाइयों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों को घोषित विषयों की सूची में शामिल करने और उन पर लगने वाले बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने संबंधी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करे।

2. इस संकल्प के अनुसरण में, सरकार ने इस निमित्त एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसमें निम्नलिखित होंगे:--

1. श्री मोहन लाल सुखाड़िया, संसद-सदस्य — अध्यक्ष
2. डा. पी. एच. प्रसाद, प्राचार्य, अर्थ-शास्त्र, अनुग्रह नारायण सिन्हा इन्स्टीच्यूट आफ सोशल स्टडीज, पटना — सदस्य
3. श्री एम. बी. कृष्णन्, संयुक्त सचिव (योजना वित्त), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय — सदस्य-सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) वनस्पति, औषध-द्रव्यों और दवाइयों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों को घोषित वस्तुओं की सूची में शामिल करने और उन पर लगने वाले बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का और इस बात का अध्ययन करना कि राज्यों के वित्तीय हितों की किस प्रकार रक्षा की जा सकती है;

(2) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये संगत केन्द्रीय तथा राज्य कर कानूनों में आवश्यक संशोधन सुझाना; और

(3) किसी भी अन्य सम्बन्धित मामले के बारे में सिफारिशें करना।

4. समिति अपने कार्य के लिये अपनी ही कार्य-विधि बनायेगी और अपने अध्ययन के निमित्त केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से ऐसी सूचना मांग सकेगी जो आवश्यक हो।

5. समिति अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 1982 तक प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिये राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

एम. वी. एन. राव
अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th December 1981

No. F. 12(2)-PD/81.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. F. 12(2)-PD/81 dated 19th August, 1981 regarding pattern of investment for provident, superannuation and gratuity funds, the proviso shall be substituted as under :

> "Provided that where any moneys are received on the maturity of Post Office Time Deposits, an amount upto 50% of such moneys may be reinvested in Post Office Time Deposits and the balance may be deposited in Central Government Special Deposit Scheme".

M. D. PAL, Director (Budget)

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 21st December 1981

RESOLUTION

F. No. 21/7/81-ST.—The Chief Ministers' Conference on Sales Tax held on the 15th February, 1981 had adopted a Resolution recommending appointment by the Central Government of an Expert Committee headed by an eminent person qualified to be a Chairman of Finance Commission and with an economist and an administrator as members to study the financial implication of the proposal for inclusion in the list of declared goods and for levy of additional excise duty in lieu of sales tax on vanaspati, drugs and medicines, cement, paper and paper board and petroleum products.

2. In pursuance of this Resolution, the Government have decided to appoint an Expert Committee for this purpose which will consist of :—

1. Shri Mohan Lal Sukhadia, Member of Parliament — *Chairman*

2. Dr. P. H. Prasad, Professor of Economics, Anugrah Narain Sinha Institute of Social Studies, Patna. — *Member*

3. Shri N. V. Krishnan, Joint Secretary (Plan Finance), Government of India, Ministry of Finance. — *Member-Secretary*

3. The terms of reference of the Committee will be :—

(i) to study the financial implications of the proposal for inclusion in the list of declared goods and for levy of additional excise duty in lieu of sales tax on vanaspati, drugs and medicines, cement, paper and paper board and petroleum products and the manner in which the financial interests of the States can be safeguarded;

(ii) to suggest necessary changes in the relevant Central and State tax laws to give effect to the Committee's recommendations; and

(*iii*) to make recommendations regarding any other related matter.

4. The Committee will evolve its own procedure for its work and may for the purpose of its study call for such information as may be necessary from the Central and State Governments.

5. The Committee will submit its report by the 31st March 1982.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette for general information.

M. V. N. RAO, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982